XIV-Form No. 563

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

धारा–48 एफ0 बी0टी0एक्ट(बटाईदारी)
राजस्व अपील वाद संख्या 132/2005

1. मो0 अलीम
2. मो0 जकीर
3. मो0 इसराफिल
4. डोमनी खातुन
5. कारी खातुन
6. शहजादी खातुन, सभी पिता स्व0– अन्नु नदाफ, सभी साकिन–प्रियकर, थाना–धमदाहा, जिला– पूर्णियाँ .....आवेदक

बनाम

मो0 मुशन, पिता–स्व0 सबदुल मियां, साकिन–भवनचका, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ .....विपक्षी

आ दे श

यह अपील वाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा धारा–48 डी0, बी0टी0एक्ट अर्न्तगत वाद संख्या 30/03 में दिनांक 27.07.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बिना सुने ही विद्वान अंचल अधिकारी के अध्यक्षता में समझौता बोर्ड का गठन किया गया। संबंधित बोर्ड में वादी एवं प्रतिवादी अपनी–अपनी ओर से पंच चयन कर दिया गया। कुछ दिनों तक दोनों ओर से पंच उपस्थित हुए। तत्पश्चात् दोनों ओर के पंच एवं वादी प्रतिवादी अनुपस्थित रहने लगे। जिससे दोनों के अनुपस्थित रहने के बावजूद भी समझौता बोर्ड अपना प्रतिवेदन विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेज दिया तथा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी बिना सुने ही समझौता बोर्ड के आधार पर आदेष पारित कर दिया। उस आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति दी गई। उनके द्वारा कोई लिखित पतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

दिनांक 02.08.2010 को उभय पक्षों की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई। स्पष्ट निदेश एवं जानकारी के बावजूद भी निर्धारित तिथि को विपक्षी द्वारा हाजिरी देने के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। आवेदक का यह कहना है कि समझौता परिषद् का निर्णय त्रुटिपुर्ण रहा। चुँकि उनके साक्ष्य का परिक्षण नहीं हो सका। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बिना सुने ही समझौता परिषद् के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो गलत है।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत नहीं है एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्रकिया का पालन सही ढंग से नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ